

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024 , थाना छपिया
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया
गिरफ्तार—

कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी गोण्डा श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-44 / 24, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एकट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों—01. विशाल, 02. शोभावती उर्फ सरोज को बहद ग्राम सोहिला से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 22.02.2024 को वादी श्री निवास पुत्र रामसुभग नि0 सुकलामपुर बृजमनगंज महराजगंज द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक जून 2022 में ग्राम मिर्जापुर के निवासी विशाल सिंह के साथ की गयी थी। उनकी पुत्री को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए हैं। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी मनकापुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों—01. विशाल, 02. शोभावती उर्फ सरोज को आज दिनांक 24.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रखाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. विशाल पुत्र स्व0 उदयराज बृजवासी नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. शोभावती उर्फ सरोज पत्नी स्व0 उदयराज बृजवासी नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

- 01- मु0अ0सं0-44 / 24, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एकट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राकेश कुमार।
02. हे0का0 अंगद शाहनी।
03. म0का0 नीलम यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने व
उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु030सं0-69 / 24, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट व 3/5(1) धर्म सम्परिवर्तन अधिन सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमन उर्फ मो0 आसीन उर्फ यासीन को अयोध्या रायबरेली नाका रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.02.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षी अमन उर्फ मो0 आसीन द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को बहला—फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 विवेक कुमार सिंह को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त अमन उर्फ आसीन को आज दिनांक 24.02.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अयोध्या रायबरेली नाका रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमन उर्फ मो0 आसीन उर्फ यासीन पुत्र लल्लन खां नि0 तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु030सं0-69 / 24, धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट व 3/5(1) धर्म सम्परिवर्तन अधिन थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 विवेक कुमार सिंह।
02. हे0का0 शैलेन्द्र यादव।
03. का0 प्रदीप मौर्य।
04. म0का0 सोनम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024, थाना को०नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को० नगर पुलिस द्वारा शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 04 अदद बैट्री बरामद—

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को० नगर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु०अ०सं०-११०/२४, धारा ३७९,४११ भादवि से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए ०२ शातिर चोरों-०१. इमरान उर्फ शानू ०२. फरहान उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से चोरी की ०४ अदद ई-रिक्षा की बैट्री बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.02.2024 को वादी महबूब पुत्र सत्तार निं० मोहल्ला महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को० नगर में लिखित तहरीर दी गयी की उनका ई-रिक्षा अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। काफी खोजबीन के बाद ई-रिक्षा करबला रोड मोहल्ला महाराजगंज से मिला है लेकिन उसमें बैट्री नहीं लगी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना उ०नि० धीरेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये ०२ आरोपी अभियुक्तों- ०१. इमरान उर्फ शानू ०२. फरहान उर्फ गोलू को आज दिनांक 24.02.2024 को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से चोरी की ०४ अदद बैट्री बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

०१. इमरान उर्फ शानू पुत्र अनीस उर्फ मो० यासीन निं० ८/९३ काशीराम कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
०२. फरहान उर्फ गोलू पुत्र वारिस सलमानी उर्फ गब्बर निं० उत्तरौला रोड महाराजगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

०१. मु०अ०सं०- ११०/२४, धारा ३७९,४११ भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

०१. ०४ अदद ई-रिक्षा की बैट्री।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

०१. उ०नि० धीरेन्द्र सिंह।
०२. का० पियूष।
०३. का० अफजल।

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024, मीडिया सेल

जनपद गोण्डा।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 02, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02 व थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024, थाना को०नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को० नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को० नगर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु०अ०सं०—९७१ / २३, धारा ४१९,४२०,४०६,४६७,४६८,५०६,१२० बी भादवि से सम्बन्धित ०३ जालसाजों—०१.साहिल सिद्दकी उर्फ अतीक अहमद, ०२. फिरोज अहमद, ०३. दिनेश कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक १०.११.२०२३ को वादी विकास श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र श्रीवास्तव नि० नय्यर कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को० नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि सहिल सिद्दकी व उनके ०३ साथियों द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों में एल०ई०डी० लाइट लगवाने हेतु ठेका दिलाने के नाम पर उनसे ०६ लाख रूपयों की ठगी की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को० नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना उ०नि० सुरेश मणि मिश्रा को सुपुर्द की गयी थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए ०३ आरोपी अभियुक्तों— ०१.साहिल सिद्दकी उर्फ अतीक अहमद, ०२. फिरोज अहमद, ०३. दिनेश कुमार ओझा को आज दिनांक २४.०२.२०२४ को रोडवेज गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

०१. साहिल सिद्दकी उर्फ अतीक अहमद पुत्र मो० अय्यूब सिद्दकीनि० ग्राम पोखर मिण्डा बाजार ईश्वरीप्रसाद थाना रामपुर जनपद देवरिया।
०२. फिरोज अहमद पुत्र आफताब अहमद नि० कन्हैया नगरथाना गुड़ंगा कुर्सी रोड जनपद लखनऊ।
०३. दिनेश कुमार ओझा पुत्र परमहंश ओझा नि० गोपाल पाण्डेय का टोला मौजा ढुमरिया थाना सहतवार जनपद बलिया।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०— ९७१ / २०२३, धारा ४१९,४२०,४०६,४६७,४६८,५०६,१२०बी० भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

०१. उ०नि० सुरेश कुमार मिश्रा।
०२. है०का० सुरेश सिंह।
०३. का० बृजेश कुमार।

प्रेस नोट

दिनांक 24.02.2024, थाना खोड़ारे,
जनपद गोण्डा।

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान का फर्जी बैनामा कराने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0—515 / 23, धारा 420,467,468,471,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रामराज को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.09.2023 को वादी शैलेष कुमार त्रिपाठी पुत्र आनंद कुमार त्रिपाठी नि0 ग्राम सिंगारघाट थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर दूसरे का मकान बैनामा करा दिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 मनकापुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गयी थी। थाना मनकापुर पुलिस द्वारा पूर्व में विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 01 आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना मनकापुर से प्राप्त हुकुम तहरीरी के आधार पर थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त रामराज को आज दिनांक 24.02.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामराज पुत्र स्व0 भगवान दास नि0 घारीघाट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—515 / 2023, धारा 420,467,468,471,506 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

प्र0नि0 खोड़ारे मनोज कुमार पाठक मय टीम।